

प्रेषक,

राकेश कुमार,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियों, उ०प्र०,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2011

विषय :- मान्यवर श्री कांशीराम सहकारी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-03/शिक्षा-बजट, दिनांक 06 अप्रैल, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी आन्दोलन को और अधिक सफल बनाने एवं गति प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारी सप्ताह में स्टाल लगाने वाली शीर्ष सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए " मा० श्री कांशीराम जी सहकारी पुरस्कार योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 25,23000/- (रूपये पच्चीस लाख तेईस हजार मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या-2979/49-3-2008-203/07, दिनांक 18-09-2008 में निर्धारित व्यवस्था/प्रक्रिया के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत स्वीकृति धनराशि का व्यय उसी मद में उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस मद/प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृति हुयी है। अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(2) उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था एवं वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-09-मा० श्री कांशीराम जी सहकारी पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू०ओ०-327/दस-2011, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

.....2/-

203/57
प्रसादी (अ०प्र०)

दीप

श्री १० अक्षय (१)


18.4.11

संख्या-849(1)/49-3-2011-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेख -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
- 6- वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- बेव मास्टर, निबन्धक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०यू०, लखनऊ।
- 10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,


(राकेश कुमार)
उप सचिव।

